न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/108/2023	2023/643	21.08.2023	18.06.2024

1. लालचन्द दूदानी पुत्र स्व0 श्री एम.आर. दूदानी, निवासी प्लाट नं0 108, स्कीम नं0 3 थाना शहर कोतवाली, अलवर जिला अलवर राज0

——अपीलान्ट

बनाम

1. महेश उर्फ बंटी पुत्री अर्जुन देव जाति सिंधी, निवासी गोपी फ्लोर मील, सिविल लाईन, थाना शहर कोतवाली, अलवर जिला अलवर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय भरण–पोषण अधिकरण कम उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के प्रकरण संख्या 03/10/2021 आदेश दिनांक 14.07.2023

उपस्थितः–
01. श्री अमीत नरूका —वकील अपीलांट
02. श्री चन्द्रमोहन यादव —वकील रैस्पोडेंट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा–23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 एवं तदसंबंधी नियम, 2010 उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 14.07.2023 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कीगई है। जिस पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का आदेश दिनांक 14.07.2023 विधि विरूद्व व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनिय है। मिन अपीलांट की ओर से तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको को भरण पोषण एवं कल्याण अधि0 2007 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि मिन अपीलार्थी का भतीजा महेश उर्फ बंटी पुत्र श्री अर्जुन देव जाति सिंधी निवासी केयर ऑफ गोपी फ्लोर मील, सिविल लाईन, अलवर को दिनांक 01.06.2020 को अपने भतीजे महेश उर्फ वंटी को किराये पर दी थी। जिसका प्रतिमाह 25000/– रूपये किराया तय किया गया था। उक्त गोपी फ्लोर मील प्रार्थी की मालिकाना हक की सम्पत्ति है। जिसके ऊपर उसके भतीजे महेश उर्फ बंटी द्वारा नाजायज कब्जा किया हुआ है तथा अपीलार्थी को ना तो उसका किराया अदा कर रहा है और ना ही उसे खाली कर उसका कब्जा अपीलार्थी को संभलवा रहा है। अपीलार्थी के भतीजे के मन में बेईमानी आ गई है जिस कारण वह अपीलार्थी की सम्पत्ति को हड़प करना चाहता है। अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है तथा चलने फिरने में असमर्थ है। अपीलार्थी का भतीजा इस बात का नाजायज फायदा उठाकर अपीलार्थी की सम्पत्ति को हडपना चाहता है तथा अपीलार्थी द्वारा तहत न्यायालय के समक्ष अनुतोष चाहा गया है कि अपीलार्थी की सम्पत्ति गोपी फ्लोर मील,

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

सिविल लाईन, अलवर को अप्रार्थी महेश उर्फ बंटी के कब्जे से उक्त सम्पत्ति को खाली कराया जाकर अपीलार्थी को सुपुर्द किया जावें। जिस पर तहत न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों पर जवाब पेश किया गया। जिस विवादित आदेश में तहत न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानो के विपिरित आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी/प्रार्थी के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया। तहत न्यायालय उपखण्ड मजि0 अलवर का आदेश दिनांक 14.07.2023 का है जिससे यह अपील 60 दिवस अन्दर मियाद पेश है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र का निष्कर्ष निकालने में अहम कानूनी भूल की है। तहत न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ नागरिको को सम्पदा से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी सम्पदा या उसका भाग अन्तरित किया जाता है जहां भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार अन्तरिती को अधिकार का ज्ञान है या अन्तरण अनुग्रहिक है किन्तु प्रतिफल हेतु अन्तरिती के विरूद्व ओर अधिकार के ज्ञान के बिना प्रवर्तित नहीं किया जा सकेगा, का उल्लेख किया गया है। जिससे साफ जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा जो कि एक वरिष्ठ नागरिक है जिसे अपने भाई गोपी चन्द दूदानी से उसकी सम्पत्ति गोपी फ्लोर मील, सिविल लाईन, अलवर वसीयतनामा दिनांक 18.04.2018 से प्राप्त हुई है। जिस वसीयतनामा पर मौजूदा गवाहन द्वारा अपनी उपस्थिति के रूप में हस्ताक्षर किये हैं। उक्त वसीयतनामा, वसीयतकर्ता की अपने जीवनकाल में अपनी मृत्यु से पूर्व अंतिम वसीयत रही है। भारात संस्कार द्वारा अधिनियम में वसीयत को बगैर किसी स्टाम्प पर टंकणित व निष्पादित किये जाने के बावजूद भी मान्य होना स्वीकार व वैध माना है। ऐसी अवस्था में घोषितकर्ता की वसीयत दिनांक 18.04.2018 एक वैध दस्तावेज है। जिसे पढ़ा जाना विधि एवं न्याय संगत है। इस वसीयतनामा के आधार पर ही अपीलार्थी को अपने भाई से प्राप्त सम्पत्तियों पर मालिकाना हक प्राप्त हुए है। प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति वसीयत निष्पादितकर्ता की निजी पैदाकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिस सम्पत्ति को वसीयत करने का कानूनी हक में अधिकार व उसकी व्यवस्था करने का पूर्ण हक व अधिकार वसीयतकर्ता को हैं। वसीयत, वसीयतकर्ता का अंतिम मृत्यु इच्छा विलेख होता हैं। उक्त वसीयतनामा, वसीयतकर्ता द्वारा अपने पूर्ण होशो हवास सचेत अवस्था में तहरीर, तकमील व निष्पादित किया। जिस विश्वास पर स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर मौजूद है। उक्त वसीयत इच्दा के अनुरूप वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित की गई। जिस वसीयत को अभी तक अप्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा चेलेंज नहीं किया गया है। जो वसीयत अप्रार्थी द्वारा अपने हक में निष्पादित व पंजीकृत होना बताया है। वह वसीयत दिनांक 30.04.2015 की है। वसीयत गोपी बन्द पुत्र मेवल राम द्वारा दिनांक 30.04.2015 को निष्पादित करना बताया है। अपीलार्थी के हक में वसीयतकर्ता गोपीचन्द द्वारा अत्तिम वसीयत दिनांक 18.04.2018 को निश्यादित करने के कारण दिनाक 18.04.2018 से पूर्व सभी वसीयत शुन्य व निश्प्रभावी कानूनन ही जाती है और ऐसी वसीयत दिनांक 30.04.2015 से विवादित सम्पत्ति की बाबत कानूनन अप्राथर्थी को कोई अधिकार प्रदान नहीं होते हैं। तहत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा अपने विवादित आदेश दिनांक 14.07.2023 में अपीलार्थी/प्रार्थी पर अपने परिवाद में भरण पोषण का अनुतोष नहीं चाहना बताया गया है। धारा 22 में सम्पत्ति का सशर्त अन्तरण को शुन्य करने का अनुतोष चाहते हुए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण की धारा 23 की आड में प्रश्नगत दुकान एवं दुकान से बेदखल करने का अनुतोष चाहना बताया गया है। जो गलत है विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी, अप्रार्थी की आय पर आश्रित नहीं है। इसलिए

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपीलार्थी ने अप्रार्थी से भरण पोषण बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक हैं जिसे विवादित सम्पत्ति जरिये वसीयतनामा दिनांक 18.04.2018 के अपने भाई से प्राप्त हुई है। जिस विवादित सम्पत्ति से अपीलार्थी आय अर्जित कर अपंना भरण पोषण करता है। अपीलार्थी ने अपने भाई से वसीयत में प्राप्त उक्त विवादित सम्पत्ति को 25000/– रूपये मासिक किराये पर दिनांक 01.06.2018 को दी गई थी ताकि अपीलार्थी किराया राशि प्राप्त कर अपना अच्छी तरह से भरण पोषण कर सके। लेकिन अप्रार्थी ने विवादित सम्पत्ति की बाबत फर्जी व नुमाईशी वसीयत दिनांक 30.04.2015 के आधार पर हडपने की मंशा से अपीलार्थी वरिष्ठ नागरिक की उक्त वर्णित सम्पत्ति को हडप कर लिया है व उसका किराया राशि का भुगतान भी नही कर रहा है। जिस तथ्य पर तहत न्यायालय द्वारा कतई गौर नहीं किया गया। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों एवं कल्याण अधिनियम 2007 में सीनियर सीटीजन की सम्पत्ति पर पुनः कब्जा प्राप्त करने, उनके बच्चों या रिश्तेदारों का सम्पत्ति पर से कब्जा हटाने या उन्हे बेदखल करने के अधिकार को भी शामिल किया हुआ है। तहत न्यायालय द्वारा वरिष्ठ नागरिको की सम्पत्ति के अधिकार व उनकी सुरक्षा से संबंधित जो अधिकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में धोखेबाजी कर हासिल की गई सम्पत्ति को उनके कब्जे से हटाया जाकर पुनः वरिष्ठ नागरिकों का कब्जा प्रदान किये जाने का हक व अधिकार भी इस अधिनियम में शामिल हैं व समय–समय पर विभिन्न न्यायालयो द्वारा वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण न्यायिक सिद्धांत पारित किये हुए हैं। अचल सम्पत्ति अधिनियम 2007 की धारा 23 में इस संदर्भ में किसी दस्तावेज को रदद किये जाने का प्रावधान दिया गया हैं। वरिष्ठ नागरिको के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट को उनकी सुरक्षा व सम्मान के लिए अधिकार प्रदान किये हुए हैं। वसीयतकर्ता गोपी चन्द दूदानी जन्म से ही बहरा था। बावजूद इसके वसीयतनामा दिनांक 30.04.2015 में अप्रार्थी द्वारा वसीयतकर्ता गोपी चन्द दूदानी को वसीयत को पढकर सुनाये जाने का उल्लेख बताया हैं। किसी भी बहरे व्यक्ति को, जो जन्म से ही बहरा हो उसे किसी भी बात को सुनाये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं व बहरे व्यक्ति को किसी बात को सुनने से उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं हैं। लेकिन तहत न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया। तहत न्यायालय द्वारा यह गौर नहीं किया गया कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में विभिन्न न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय पारित किये गये हैं जिनमें फर्जी व नुमाईशी वसीयत को शुन्य घोषित किया गया हैं। ऐसा ही एक न्याय निर्णय उप जिला मजि० भरतपुर द्वारा पारित किया गया हैं। जिस आदेश का प्रकाशन दैनिक भास्कर दैनिक संस्करण अलवर में दिनांक 25.09.2022 को किया गया हैं। जिस प्रकाशन की फोटो प्रति न्यायालय हाजा में पेश हैं। इसके साथ–साथ अनेक न्याय निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये गये हैं। जिनकी फोटो प्रति भी अपील हाजा के साथ पेश हैं। अप्रार्थी द्वारा तहत न्यायालय के समक्ष अपने जवाब में यह निवेदन किया गया कि अप्रार्थी ने मृतक वसीयतकर्ता गोपी चन्द के साथ लम्बे समय तक रहवास किया हैं। जबकि वसीयतकर्ता गोपी चन्द ने कभी भी अप्रार्थी के साथ निवास नहीं किया। वसीयतकर्ता गोपी चन्द का राशन कार्ड संख्या 179 दिनांक 18.08.2001 की फोटो प्रति पेश की जा रही हैं जो केवल दो युनिट का बना हुआ हैं जो जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा जारी किया हुआ हैं। जिसमें कवेल मात्र गोपी चन्द व उसकी बहन इन्द्रा देवी का नाम अंकित हैं जिससे साफ जाहिर हैं कि अप्रार्थी, वसीयतकर्ता के साथ कभी नहीं रहा हैं जिस तथ्य पर तहत न्यायालय द्वारा गौर नहीं

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

किया गया। तहत न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा पेश की गई वसीयत दिनांक 30.04.2015 पर चस्पा फोटो व उप पंजीयक के समक्ष पेश हुए व्यक्ति की फोटो का मिलान करने में कानूनी भूल की हैं क्योंकि दोनो फोटो भिन्न हैं उप पंजीयक के समक्ष वसीयतकर्ता कभी उपस्थित नहीं हुआ। वसीयतनामा के स्टाम्प पर जो फोटो चस्पा की गई वह फोटो अप्रार्थी ने बैंक में कार्य कराने के नाम पर हासिल की गई थी। जिसका दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी ने फर्जी वसीयत तैयार कर वसीयतनामा पर फोटो चस्पा की गई हैं। तहत न्यायालय ने अप्रार्थी की ओर से पेश की गई फर्जी वसीयतनामा का ना तो अवलोकन किया गया और ना ही जाँच की। वसीयतनामा दिनांक 30.04.2015 पर वसीयतकर्ता के जो हस्ताक्षर अंकित है वह हस्ताक्षर वसीयतकर्ता के नहीं हैं। जो हस्ताक्षर गोपी चन्द के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलार्थी की सम्पत्ति गोपी फ्लोर मील, सिविल लाईन, अलवर को अप्रार्थी महेश उर्फ बंटी के कब्जे से उक्त सम्पत्ति को खाली कराया जाकर अपीलार्थी को सुपुर्द किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी अपने भतीजे महेश उर्फ बटी पुत्र श्री अर्जुनदेव सिंधी को दिनांक 01.06.2020 को अपनी मील गोपी फ्लोर मील सिविल लाइन अलवर को प्रतिमाह 25000/– रूपये महीने किराये पर दिया है नितांत गलत तथ्य है। जो बिना किसी आधार के लिखा गया है। सही तथ्य यह है कि अप्रार्थी की ताऊ जी श्री गोपीचंद द्वारा अपनी स्वयं की आय से उक्त गोपी फ्लोर मील व उसमें मकानात खरीद किये थे तथा अप्रार्थी उनके साथ रहकर कार्य करता था तथा उसकी सेवा व व्यवहार से खुश होकर दिनांक 30.04.2015 को रजिस्टर्ड वसीयतनामे के माध्यम से उपरोक्त समस्त जायदाद मय गोपी फ्लोर मील अप्रार्थी को वसीयत के माध्यम से दे दी गई थी। श्री गोपीचंद जी का दिनांक 26.05.2020 को देहांत हो जाने के पश्चात उक्त वसीयत प्रभावी हो गई तथा 26.05.2020 के पश्चात से अप्रार्थी मालिक जायदाद हो गया है। प्रार्थी का यह कथन कि दिनांक 01.06.2020 से किराये पर ली है, पूर्णतया असत्य है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थी करीब 35–40 वर्ष से 108, स्कीम नं. 3 अलवर में निवास करते है तथा गोपी फ्लोर मिल से उनका कोई संबंध, सरोकार व वास्ता नहीं है तथा प्रार्थी बैंक में अधिकारी थे, जो अब रिटायर हो चुके है तथा बस स्टेण्ड के सामने, चक्की के पार्टस की दुकान है जो अच्छी चल रही है तथा प्रार्थी के दो बेटे व एक बेटी है, एक बेटा डॉक्टर है जो प्रार्थी के साथ निवास करते है व दूसरा पुत्र एचडीएफसी बैंक में मैनेजर है। प्रार्थी के द्वारा एक फर्जी वसीयत प्लेन कागज पर तैयार कर पेश की है। सही तथ्य यह है कि उक्त दस्तावेज पर बैंक में देने हेतु श्री गोपीचंद से खाली कागजो पर हस्ताक्षर कराये थे, लेकिन उसको बैंक के लिये उपयोग में ना लेकर फर्जी वसीयत तैयार की गई गवाहो के भी फर्जी हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी द्वारा समस्त कार्यवाही मिथ्या तथ्यो व दस्तावेजो के आधार पर प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर प्रार्थी कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया निर्णय उचित है विधिसम्मत है। जिस कारण प्रार्थी माननीय न्यायालय से कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा माननीय न्यायालय प्रार्थी को किराया वसूल कर देने का आदेश करने में सक्षम भी नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का अपील प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यो व दस्तावेजो के आधार पर पेश किये जाने के कारण मेन्टेनेबल नहीं है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन व मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 14.07.2023 के संबंध में अनुतोष हेतु

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्ट्या अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रकरण दुकान गोपी फ्लोर मिल के किराये व बेदखली का प्रतीत होता है। उक्त अधिनियम भारतीय समाज के रीति रिवाजों पर आधारित है और व्यक्तिगत झगडे को सुलझाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ना ही उक्त बिन्दू पर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत किसी प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा अपने परिवाद में भरण पोषण नहीं चाहा गया है। धारा 22 में सम्पत्ति का सशर्त अन्तरण को शून्य घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अधिनियम की धारा 23 में वर्णन अनुसार बेदखल किया जाना उचित नहीं माना गया। अधिनियम की धारा 23 मौजूदा प्रकरण व पारिवारिक घटनाकम पर चस्पा नहीं होती है। उक्त अधिनियम की धारा 23 में बेदखली (EVICTION) का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 निर्दिष्ट विधि अनुसार पारित निर्णय दिनांक 14.07.2023 उचित प्रतीत होता है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का आदेश दिनांक 14.07.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान